an>

Need to ensure adequate water-harvesting system in new residential colonies in cities and towns in the country.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) ः सम्पूर्ण देश में शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। भारत सरकार ने भी देशभर में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य अपने हाथ में लिया है। यह एक सराहनीय कदम है। राजस्थान के भी दो शहरों जयपुर एवं उदयपुर का चयन किया गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं मंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूँ।

मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि विगत वर्षों से शहर बहुत तेजी से बढ़े तथा उनकी जनसंख्या भी दो से तीन गुनी हो गयी। नगरीय निकायों ने नई-नई कालोनियां भी बनाई पर इनके बनाते समय बरसात के पानी को बड़े पैमाने पर संग्रह करने के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा गया। पुराने समय में जब गांव और शहर बसते थे तो उसके साथ-साथ झील अथवा तालाबों का निर्माण भी किया जाता था एवं बसावट इस प्रकार से की जाती थी कि बरसात का सारा पानी उस तालाब तथा झील में जाकर इकट्ठा होता था और वही पानी पीने एवं सिंचाई के काम में आता था। परंतु वर्तमान में कॉलोनियों का निर्माण इस प्रकार से नहीं हो रहा है। इस कारण पानी की गंभीर समस्या से जनता को जूझना पड़ रहा है।

मैं भारत सरकार से यह अपेक्षा करता हूँ कि इस हेतु आवश्यक कानून बनाकर शहरी निकायों को पाबन्द किया जाये कि बिना झील अथवा तालाब के निर्माण के लिए नई कॉलोनियों की स्वीकृति नहीं दी जाये।